न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 39 / 2020

अनवान : –

1. जोगेन्द्रसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. लिछमणसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. करणीसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. प्रहलादसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. विमल कंवर पुत्री लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. टीनाकंवर पुत्री कमला कंवर जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. अभयसिंह पुत्री कमला कंवर जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. शिशपालसिंह पुत्र कमला कंवर जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायलान**
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 18/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 633 / 227 की कुल 2.1625 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 69 / 68 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं उक्त वाद भूमि पूर्व में सायल केक दादा अमरसिंह के नाम दर्ज थी उनके देहान्त के बाद अप्रार्थी स0 1 के नाम उक्त भूमि दर्ज हुई। गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल स0 1 के उक्त वाद भूमि दर्ज होने से गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय कर सकता है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:36:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 633/227 की कुल 2.1625 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 69/68 की कुल 3.5420 कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता यानि की गैरसायल स0 1 वृद्ध व्यक्ति है जिसको परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वाद भूमि पर सायल का किसी प्रकार का कब्जा नही है एवं अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है अतः रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और उनकी फौतदगी के बाद अप्रार्थी संख्या 1 यानि सायल के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थी का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:56:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थीगण को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 69/68 की कुल 3.5420 कृषि भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 633/227 की कुल 2.1625 हैक्ट भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 18/06/24 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:36:45 IST
Reason: SelfAttested